

संख्या: / xxvii(10)2024-1(11) / 2024 / E-40215

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-10

देहरादून : दिनांक अक्टूबर, 2024

विषय : अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/24/2007/E-III(ए) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 द्वारा केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिन की परिलक्षियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रु0 7000/- (रु0 सात हजार मात्र)) की सीमा निर्धारित करते हुए तर्दर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।

2— अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यांतर्गत समूह 'ख' के समस्त अराजपत्रित कर्मियों, जिनका ग्रेड वेतन रु0 4800/- (पुनरीक्षित वेतनमान 47600-151100, (लेवल-8)) तक है तथा राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मियों, जो उत्पादकता से सम्बद्ध किसी बोनस स्कीम से अच्छादित नहीं होते हैं, को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1). केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत तर्दर्थ बोनस के पात्र होंगे, जो दिनांक 31-03-2024 को सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च, 2024 तक न्यूनतम छ: माह की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा की हो। वर्ष के दौरान छ: महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी।

(2). उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलक्षियों को 30.4 (एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा, तत्पश्चात दिये जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जायेगा। उदाहरण के लिए मासिक परिलक्षियों की उच्चतम गणना सीमा रु0 7000/- (जहां वास्तविक परिलक्षियां रु0 7000/- से ज्यादा हैं) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) रु0 7000 X 30/30.4 = 6907.89 (पूर्णांकित रु0 6908/-) होगा।

(3). ऐसे कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्होंने छः कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे। देय तदर्थ बोनस की राशि ₹0 1200 X 30/30.4 अर्थात् ₹0 1184.21(पूर्णांकित ₹0 1184/-) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलक्षियां ₹0 1200/- से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलक्षियों के आधार पर की जाएगी।

(4). इन आदेशों के अधीन तदर्थ बोनस की धनराशि रूपये के निकटतम् पूर्णांक में भुगतान की जायेगी।

(5). ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक वाद लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। जिन कर्मचारियों को वर्ष 2023–24 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(6). किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

(7). तदर्थ बोनस की स्वीकृति के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों को मानदेय केवल महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्यों के लिये ही दिया जायेगा।

(8). अवैतनिक अवकाश के मामलों को छोड़कर, अन्य प्रकार के अवकाशों की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए आंगणित किया जायेगा।

(9). लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलम्बित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। ऐसा कार्मिक यदि निलम्बन की अवधि के लिए परिलक्षियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र होगा।

(10) ऐसे स्थानीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण जो लाभ में हो, के कर्मियों को भी तदर्थ बोनस की धनराशि उक्तानुसार देय होगी, किन्तु उक्त का भुगतान सम्बन्धित निकाय/विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से स्वयं वहन करना होगा। इसके लिये शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3— अनुमन्य तदर्थ बोनस का भुगतान नकद धनराशि के रूप में किया जायेगा।

4— उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को सम्बन्धित आय-व्ययक के उक्त लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा, जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय का वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद “वेतन” के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या: (1) / xxvii(10) / 2024–1(11) / 2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव / सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय / उपकर्मों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय / उपकर्म उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय / उपकर्मों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्कता नहीं होगी।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्योलयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
11. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
12. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।